28.01.2025 पत्रावली पेश। वकील उपस्थित। बहस उपरान्त अधिवक्तागण की सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम ~~कोड~~ कोड में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 05 की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 708, 709, 710, 711, 712 कुल रकबा 6.51 हैक्टेयर का स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी मे 1/10 हिस्सा में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज है। तथा बन्ट व हिस्सा अनुसार मौके पर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा। परिशिष्ट-अ" अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 712 पर उक्त खरीद से प्रार्थी का निर्विवाद कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु राजस्व रेकर्ड मे विधिवत बंटवारा होना शेष है। प्रार्थी के बन्ट व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 712 में आई हुई है तथा प्रार्थी की रहवासीय ढाणी मौके पर मौजूद है। जिसमें प्रार्थी व प्रार्थी के काश्तकार काश्त करते है एवं फसलो के मध्य वर्षो पूर्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:07:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।

हुए बटवारे अनुसार मौके पर वर्षो पुरानी
मेढे कायम है तथा मौके पर अलग-अलग
काश्त कर रहे थे परन्तु अभी तक राजस्व
रेकर्ड में अलग-अलग तरमीम नहीं होने से
तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद
हेतु बटवारा का दावा न्यायालय में पेश
कर रखा था मुझ प्रार्थी ने ~~[illegible]~~ वर्षो पूर्व
हुए बटवारे अनुसार तथा वर्तमान में मौके
पर काबिज काश्त अनुसार सहमति से बटवारा
करने हेतु अप्रार्थीगण को निवेदन किया तो
अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04 ने मना कर दिया,
तथा प्रार्थी को उसके काबिज काश्त खसरा
बेदखल करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त
व रहने की आराजी को किसी अजनबी
व्यक्ति को बेचान करने के ऐलानिया
धमकियां दी। यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने
में ~~[illegible]~~ कामयाब हो गए तो प्रार्थी
को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका आंकलन
रुपयो-पैसो में किया जाना कतई मुमकिन
नहीं होगा। अतः अप्रार्थीगण को परिवादित
अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से तार्फैसला
मूल वाद तक पाबन्द फरमावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में
निवेदन किया कि प्रार्थी ने दुर्भावना
पूर्वक वाद पेश किया है ~~चूंकि~~ वादग्रस्त
आराजी में हमारा पैतृक हक है व खातेदारी
की है जिस पर पीढी दर पीढी हमारा
कब्जा काश्त है तथा मौके पर करीब 30
वर्ष पूर्व बटवारा [illegible] है
एक संयुक्त खातेदार जो [illegible] अनुसार
काश्त करने [illegible]
करने का पूर्ण विधिक अधिकार होता है
ऐसी सूरत में मामला प्रथम दृष्टया, सुविधा
का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण

[illegible]
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:07:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज
	के पक्ष में भी रहती प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी का साबित खारिज होने से जो खारिज फरमावे। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
	मैंने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की आराजी है तथा संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक खातेदार का जमीन का हिस्सा प्रत्येक कण-कण व इंच-इंच आराजी पर सहखातेदार का साबित है तथा सहखातेदार कु-विभाजन के हकदार है। इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टया तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। यदि विवादग्रस्त आराजी का बिना कु-विभाजन के बेचान या हस्तांतरण होता है तो अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु (i) मामला प्रथम दृष्टया (ii) सुविधा का संतुलन (iii) अपूरणीय क्षति। प्रार्थी के पक्ष में तय होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाता है तथा विवादग्रस्त आराजी मौजा कोड के खसरा संख्या 708, 7[illegible] 711, 712 कुल रकबा [illegible] मूल वाद [illegible] तक [illegible] राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:07:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner